न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2020-00058 RAAJodhpur2020-29RTA223 Madanram Vs Hardinram etc

मदनराम पुत्र श्री रामदीन जाति कुम्हार निवासी- बारनीखुर्द तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

न

म

1. हरदीनराम पुत्र रामदीन
2. जगदीश पुत्र रामदीन
3. हनुमानराम पुत्र रामदीन
4. सीताराम पुत्र रामदीन सभी जातियान् कुम्हार, निवासीगण- बारनीखुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ।

--- रेस्पोडेण्ड्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर भोपालगढ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2020 राजस्व वाद संख्या 04/2018 मदनराम बनाम हरदीनराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 05

नि र्ण य

दिनांक : 22 अक्टूबर, 2021

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2020 राजस्व वाद संख्या 04/2018 मदनराम बनाम हरदीनराम इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1955 की धारा 223 के तहत दिनाक 11 फरवरी 2020 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम रजलानी की भूमि खसरा नं. 468 रकबा 21.01 बीघा वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से चार की सामलाती खातेदारी आई हुई है, जिसमें प्रत्येक खातेदार का 1/5 हिस्सा निहित है। इस खसरा में दो सामलाती नलकूप एवं सामलाती विद्युत कनेक्शन चल रहा है तथा चार मकान बने हुए है। वादी एवं प्रतिवादीगण सामलाती रूप से काबिज होकर सोहलियत अनुसार काश्त कर रहे है। रेस्पोडेंट संख्या एक से चार बंटवाड़ा करवाये बिना मनमर्जी से पक्का निर्माण एवं दीवार निर्माण करवा रहे है। इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 हनुमानराम का सामलाती खातेदारी का खेत खसरा नं. 470 रकबा 15.02 बीघा आया हुआ है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा निहित है। इसलिए खसरा नं. 468 एवं 470 का हक हिस्से अनुसार माप व सीमांकन के बंटवाड़ा किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की हिस्से की भूमि को अलग-अलग तरमीम की जावें एवं खसरा नं. 468 में स्थित नलकूप से हिस्से अनुसार पानी निकालने व अपने हिस्से की खेती सिंचाई करने का अधिकार रखा जावें तथा वादी के हक हिस्से मे आने वाली भूमि पर वादी के कब्जे में प्रतिवादी संख्या एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से चार को दखल करने से जरिये शाश्वत निषेधाज्ञा के रोका जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 19.07.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार भोपालगढ से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 20 जनवरी 2020 को अंतिम डिक्री जारी की गई, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सहायक कलक्टर ने बंटवाड़ा प्रस्ताव भूमिधारी तहसीलदार को मौके पर जाकर समस्त खातेदारान् की उपस्थिति में उभय पक्ष को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने का आदेश दिया। परन्तु तहसीलदार मौके पर नही जाकर विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया, जो विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु सक्षम नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त व निरस्त किये जाने के योग्य है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। इस कारण अपीलाधीन बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं उस पर पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने के योग्य है। विभाजन प्रस्ताव अपीलार्थी एवं प्रतिवादी पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। अपीलार्थी सामलात में रखे हुए भू-भाग का भी विभाजन चाहता है, जिसमें नलकूप आदि आये हुए है, उक्त नलकूप को प्रतिवादी ने वाद प्रस्तुत होने के बाद उपयोग उपभोग करने से वंचित कर दिया है, इसलिए वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उसका भी विभाजन चाहता है, जिसके बारे में वादी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता था, परन्तु वादी को आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया।, इसलिए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री नियम, न्याय के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2020 को अपास्त किया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विभाजन प्रस्ताव समस्त खातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार किये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख **विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार भोपालगढ स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार तैयार नहीं कर भू-अभिलेख निरीक्षक रजलानी एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है।** विभाजन प्रस्ताव पर वादी/प्रतिवादी किसी पक्ष के हस्ताक्षर नहीं है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2020 राजस्व वाद संख्या 04/2018 मदनराम बनाम हरदीनराम इत्यादि को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले मे विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं की मौके पर उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार तैयार करवाकर उस पर उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत अंतिम डिक्री एवं निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/11/2021

नखतदान बारहठ
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर